(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5844/2018/बड़वानी/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 24.03.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर प्रकरण क्रमांक 345/अपील/2016-17.

---

1. कैलाश पिता डोंगर धनगर
   निवासी कसरावद पुर्नवास स्थल,
   तहसील व जिला बड़वानी
2. प्रमोद पिता देवदत्त यादव,
   निवासी ग्राम कसरावद,
   तहसील व जिला बड़वानी .....आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा
राजस्व विभाग, बड़वानी,
जिला बड़वानी, म.प्र. .....अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/5/19 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित दिनांक 24.03.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बड़वानी द्वारा भ्रमण के दौरान दिनांक 08.07.2014 को नर्मदा नदी से अवैध रूप से उत्खनित की गई लगभग 500 ट्राली बालूरेत आवेदक कैलाश द्वारा उत्खनन की जाना पाये जाने से उनके द्वारा आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत प्रकरण क्र. 27/अ-67/14-15 दर्ज कर आवेदक कैलाश को सूचना पत्र जारी किया गया एवं प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा बड़वानी से

आवेदक द्वारा अवैध रूप से उत्खनित उक्त खनिज की मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्रकरण में आवेदक कैलाश द्वारा जवाब प्रस्तुत कर उसमें उल्लेखित किया गया कि उक्त रेत के उत्खनन उसके द्वारा नहीं किया जाकर ग्राम कसरावद के प्रमोद यादव द्वारा किया गया है। प्रकरण में आवेदक प्रमोद को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। खनिज अधिकारी द्वारा खनिज निरीक्षक, बड़वानी की मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार उत्खनिज बालूरेत की मात्रा 1000 घनमीटर होकर बाजार मूल्य रूपये 3,00,000/- एवं खनिज के मूल्य पर अर्थदण्ड 6,00,000/- किया जाना प्रस्तावित कर आदेश दिनांक 14.03.2016 पारित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा एक अपील अपर कलेक्टर, जिला बड़वानी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.03.2017 से निरस्त की गई। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.03.2018 को आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखते हुए अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) आवेदकगण के विरूद्ध दिनांक 8 जुलाई 2014 को भ्रमण के दौरान जो प्रकरण लगभग 500 ट्राली बालू रेत का बनाया गया है, ऐसे ही इसी दिनांक को अधीनस्थ अधिकारी द्वारा कई प्रकरण बनाये हैं, इस कारण एक ही दिन में कई प्रकरण बनाये जाने से आवेदकगण के विरूद्ध प्रकरण मात्र विधि विरूद्ध होकर बिना कोई युक्तियुक्त जांच के बनाया गया है, ऐसी स्थिति में भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होकर अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि प्रकरण में बिना कोई साक्ष्य लिये आवेदकगण पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जबकि तहसीलदार द्वारा रूपये 25,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार नहीं होने के बावजूद भी रूपये 6,00,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है, जिस पर विचार न कर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने में विधि की गंभीर भूल की है।

(3) सदर प्रकरण में अवैध रूप से खनिज उत्खनन कर म.प्र. खनिज (अवैध खनन परिवहन तथा भण्डारन का निवारण) नियम 2006 के नियम 18 तथा संहिता की धारा 247(7) में उल्लेखित प्रावधानों को ध्यान दिये बगैर अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर प्रकरण दर्ज किया जाकर आवेदकगण पर दण्ड अधिरोपित किया गया है, जिस पर कोई विचार न करते हुए आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने में विधि की गंभीर भूल की है।

(4) अपर आयुक्त द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि आवेदकगण के विरूद्ध प्रकरण दिनांक 8 जुलाई 2014 को दर्ज किया जाकर जिसका पंचनामा दिनांक 8 अगस्त 2015 को बनाया है तथा जहां का पंचनामा बना है, वह जमीन किस व्यक्ति के आधिपत्य में रही होकर उसका मालिक कौन था, उसके ना ही कोई बयान लिये गये हैं और ना ही कोई दस्तावेज तदसंबंध में प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं, ऐसी स्थिति में भी केवल उपधारणा के आधार पर आवेदकगण पर अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने में विधि की गंभीर भूल की है।

(5) अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश, अनुमानों एवं अटकलों पर आधारित होने से भी एक विधिसम्मत आदेश का स्थान नहीं रखता है, सबब भी अपास्त किये जाने योग्य है।

(6) अपर आयुक्त को आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश को अपास्त किये जाने का पूर्ण क्षेत्राधिकार था, बावजूद इसके स्वयं में अंतर्निहित न्यायिक शक्तियों के परे जाकर आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने में विधि की गंभीर भूल की है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक शासन के विद्वान शासकीय अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अपर आयुक्त, अपर कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रमोद पिता देवदत्त यादव को अवैध रेत का संग्रहण किये जाने पर कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया था, किंतु प्रकरण में कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के पश्चात् विभिन्न पेशी तारीख नियत की जाने पर आवेदक प्रमोद अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। दिनांक 14.05.2015 को आवेदक प्रमोद की ओर से उसके पिता देवदत्त यादव उपस्थित हुए तथा उन्होंने स्वीकार किया कि अवैध रेत का संग्रहण किये जाने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रूपये 6,00,000/- का अर्थदण्ड अधिरोपित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसके आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर, जिला बड़वानी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जो कि हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

इसी प्रकार 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में फेरफार की कोई आवश्यकता नहीं है। दर्शित परिस्थिति में आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.02.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर